



उपखण्ड अधिकारी  
कतेहपुर सीकर (राज.)

आराजी खसरा नंबर 779 रकबा 1.61 हेक्टर बाक कखा कतेहपुर में अवस्थित है  
जिसके इस आवंटन-पत्र में आगे वादग्रस्त भूमि के नाम से संबंधित किया जायेगा।

पक्ष में है जिसमें प्रार्थी की सफलता सुनिश्चित है।  
माननीय न्यायालय में विधिवत रूप से प्रस्तुत कर दिया है जिसमें संलग्न दस्तावेजों व  
प्रार्थी की ओर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का सही विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने

दिनांक:- 30.06.2018

निर्णय

उपस्थित अधिकारी  
श्री राजकमल शर्मा - प्रार्थी  
श्री श्रीमति हिंडा - अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान कायदाकाठी अधिनियम

अप्रार्थीना .....  
प्रार्थी

1. मुखराम पुत्र आँकारमल जाति जाट निवासी पवाना तहसील नवलगाढ जिला  
झुंझुन राजस्थान।
2. रामस्वरूप अग्रवाल पुत्र रामप्रसाद अग्रवाल जाति महाजन निवासी मोहला  
बोखपुरा तहसील व जिला सीकर राजस्थान।
3. पटवारी हल्का कतेहपुर।
4. तहसीलदार महोदय कतेहपुर
5. उपपंचायक कतेहपुर।

बनाम

प्रार्थी

माफी सिंह श्री सीतारामजी बाक कखा कतेहपुर जिला सीकर जसिये अहतमाम पुजाही  
बांकरलाल पुत्र बंकर जाति ब्रह्मण 65 वर्ष निवासी बार्ड नं० 19 तहसीनाथ  
विद्यालय के पास कतेहपुर जिला सीकर राजस्थान।

सुकदमा नंबर - 48/2016

पीठस्थान अधिकारी का नाम-

श्री श्रीमती आर.ए.एस.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कतेहपुर (सीकर)





कतहपुर-सीकर (राज.)  
उपखण्ड अधिकारी  
23

प्राप्ति को होना समाहित है।

जब प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्राप्ति के पक्ष में है तो अपूर्णतया क्षति

के पक्ष में है। सुविधा का संतुलन प्राप्ति के पक्ष में सबल है।

प्रस्तुत विजिलिपि जमाबंदी संवत् 2011-2014 में खसरा नंबर 779 की खातेदासी प्राप्ति

**सुविधा का संतुलन:-**

के पक्ष में है। प्रथम दृष्टया मामला प्राप्ति के पक्ष में सबल है।

प्रस्तुत विजिलिपि जमाबंदी संवत् 2011-2014 में खसरा नंबर 779 की खातेदासी प्राप्ति

**प्रथम दृष्टया मामला:-**

किया। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में मुख्य तीन बिन्दु तय करने होते हैं।

हमने पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया। बहस वकूलाय फीकीकन पर मनन

मौल बाद में वकालतनामा पेश किया। पत्रावली कैम्प कोर्ट फतेहपुर पर पेश हुई।

सं. 1 की ओर से श्री राजपाल एड. व अप्राप्ति सं. 2 की ओर से श्री भीम सिंह महला एड. ने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलवी जारी की गयी। अप्राप्ति

विक्रय-पत्र आदि प्रस्तुत होने पर उसका पंजीयन नहीं करें।

कि वो वादग्रस्त भूमि का रिकॉर्ड नहीं बदले व वादग्रस्त भूमि का किसी भी प्रकार का अन्तरण, रद्दन, बंधक आदि नहीं करें व अप्राप्ति संख्या 3 लगायत 5 को प्रतिबंधित किया जावे तक वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नंबर 779 रकबा 1.61 हेक्टर पर वाके कस्बा फतेहपुर के विक्रय सहायिका सहीत जारिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करमाया जावे कि वो वाद के विचारण अतः आवदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को मय नोकर - चाकर अधिकारी,

किया जा रहा है।

तक जारिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करमाया जाना आवश्यक है तद्देहि आवदन-प्रस्तुत होगी जिसकी पूर्ति धन के रूप में नहीं हो सकेगी इस कारण अप्रार्थीगण को वाद के विचारण यदि अप्राप्ति अपने उक्त कुवददेश्य में सफल हो गया तो प्राप्ति को ऐसी असीम अपूर्णतया क्षति अवैध रूप से लाभ उठाने के उद्देश्य से वादग्रस्त भूमि को विक्रय आदि करने पर उतार है अप्राप्ति संख्या 1 ता 2 वादग्रस्त भूमि का खाला अपने नाम होने के कारण से उसका

से तद्देहि आवदन-पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

सहायिका करवाने व इसी अर्जकप राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाने हेतु हकदार होने नाम उद्घोषित करवाने का हकदार है इस कारण से वादग्रस्त भूमि का खातेदासी को प्राप्ति वादग्रस्त भूमि का खातेदार, काशतकार, हकदार होने से वादग्रस्त भूमि का खाला

(कतक) (कतक) (कतक)  
 (कतक) (कतक) (कतक)  
 ०३-



गया । ॥२१

निर्णय आज दिनांक 30.06.2018 को लिखाया जाकर कौम कोर्ट कतकपुर में सुनाया

(कतक) (कतक) (कतक)  
 (कतक) (कतक) (कतक)

पनावली फैसल सुमार होकर बाद जाणा कार्यवाही मूल बाद के संलग्न हो।

वादस्त भीम का विकय नहीं करे।  
 विवादित भीम खसरा नंबर 779 रकबा 1.61 हैक्टर के रिकॉर्ड की यथारिथिति बनायी रखी एवं  
 लकर अपूर्णता को दवे के निर्णय तक अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि  
 निल प्रस्तित प्रार्थना पर अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान करतकाशी अधिनियम स्वीकार किया  
 है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पर स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी  
 के अन्तर्गत विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया मानना एवं सुविधा का संलग्न प्रार्थी के